रजिस्ट्री सं. डी. (डी. एन.) 72 REGISTERED NO. D. (D.N.) 72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 274] नई दिल्ली, सोमवार, दिसम्बर 8, 1986/अग्रहायण 17, 1908
No. 274] NEW DELHI, MONDAY, DEC. 8, 1986/AGRAHAYANA 17, 1908

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

नई दिल्ली, 8 दिसम्बर, 1986

सार्वजनिक सूचना

सं. प्रतिअदायगी/सा.सू.-37/86

फा. सं. 600/2618/86-प्र.अ.—सीमाशुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क प्रतिअदायगी नियमावली, 1971 (भारत के राजपत्र, असाधारण, दिनांक 25 अगस्त, 1971 में प्रकाशित अधिसूचना सं. 52/फा.सं. 602/2/70-प्र.अ.) के नियम 4 के साथ पठित नियम 3 के अधीन, केन्द्रीय सरकार इस मंत्रालय की सार्वजनिक सूचना सं. प्रतिअदायगी/सा.सू.-11/86 दिनांक 31 मई, 1986 में प्रकाशित सारणी में एतद्द्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है ।

उपक्रम संख्या 2613 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्टियां तथा टिप्पणी अन्तःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

"उपक्रम सं.	माल का विवरण	प्रति अदायगी की दर	आबंटन	
			सीमा शुल्क	केन्द्रीय उत्पादन शुल्क
2614	ऊन की अधिकता वाले सूत से निर्मित कम्बल और कम्बलों का कपड़ा	2.10 रु. (केवल दो रुपये दस पैसे) प्रति किलोग्राम	2.00	0.10

टिप्पणी :—यदि माल की रंगाई की गई हो तो उपक्रम संख्या 2613 के संबंध में विनिर्दिष्ट प्रतिअदायगी की दर के अलावा, निर्यातकर्त्ता 0.20 रु. (केवल बीस पैसे) की दर से अतिरिक्त प्रतिअदायगी का भी हकदार होगा।"

2. यह सार्वजनिक सूचना दिसम्बर, 1986 के प्रथम दिन से लागू समझी जाएगी।

एस. के. राय, उप सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

New Delhi, the 8th December, 1986

PUBLIC NOTICE

No. DRAWBACK/PN-37/86

F. No. 600/2618/86-DBK:—Under Rule 3 read with Rule 4 of the Customs and Central Excise Duties Drawback Rules, 1971 (Notification No. 57/F. No. 602/2/70-DBK published in the Gazette of India (Extraordinary) dated the 25th August, 1971), the Central Government hereby makes the following amend-

ments in the Table published in the Ministry's Drawback/PN-11/86, dated the 31st May, 1986 :—

After Sub-serial No. 2613 and the entries relating thereto, the following entries and note thereunder shall be inserted, namely:—

"Sub Sl. No.	Description of goods	Rate of Drawback	Allocation	
			Cus.	C. Ex.
2614	Blankets and blanketing cloth manufactured from yarn in which wool predominates.	Rs. 2.10 (Rupees two and paise ten only) per Kg.	2.00	0.10

Note: In addition to the drawback rate specified in respect of Sub-serial No. 2613, the exporter would also be eligible to an additional drawback @Rs. 0.20 (Paise twenty only) per Kg. if the goods are dyed."

2. This Public Notice shall be deemed to have come into force on the 1st day of December, 1986.

S. K. ROY, Dy. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1986

रजिस्ट्री सं. डी. (डी एन.)-72

REGISTERED No. D. (DN.) 72



भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 275] नई दिल्ली, सोमवार, दिसम्बर 8, 1986/अग्रहायण 17, 1908
No. 275] NEW DELHI, MONDAY, DECEMBER 8, 1986/AGRAHAYANA 17, 1908

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वाणिज्य मंत्रालय

(निर्यात व्यापार नियंत्रण)

सार्वजनिक सूचना सं० 27 ई टी सी (पी एन)/86

नई दिल्ली, 8 दिसम्बर, 1986

विषय :—विदेशी क्रेता द्वारा सप्लाई की गई चांदी के मढ़े चांदी के आभूषण और चांदी की बनी वस्तुओं के निर्यात के लिए इस स्कीम के अधीन चांदी के आभूषण और चांदी की वस्तुओं का निर्यात और चांदी के आभूषण और चांदी की वस्तुओं के लिए निर्यात संवर्धन एवं प्रतिपूर्ति स्कीम ।

फा. सं. 21/31/86-ई. 1.—उपर्युक्त विषय पर निर्यात (नियंत्रण) संशोधन आदेश सं. ई. (सी.) ओ., 1977/ए. एम (329) दिनांक 8 दिसम्बर 86 की ओर ध्यान दिलाया जाता है ।

2. यह निश्चय किया गया है कि विदेशी क्रेता द्वारा सप्लाई की गई चांदी के मढ़े चांदी के आभूषण और चांदी की वस्तुओं के निर्यात के लिए इस स्कीम के अधीन कतिपय चांदी के आभूषण और चांदी की वस्तुओं और नीति विवरण की क्रम सं. 77 (3) (4) के अन्तर्गत यथा विनिर्दिष्टीकृत चांदी के आभूषण और चांदी की वस्तुओं के लिए निर्यात संवर्धन और प्रतिपूर्ति स्कीम के लिए क्रम सं. 77 (3) (4) के सामने कालम सं. 3 के अन्तर्गत दी गई शर्तों के अनुसार तत्काल से निर्यात अनुतवनुसार, नीति विवरण में क्र. सं. 77 (3) (3) के बाद निम्नलिखित प्रविष्टि जोड़ी जाएगी :—

1	2	3
	निम्नलिखित चांदी के आभूषण और चांदी की वस्तुएं :—	
77(3)4	1. चांदी के आभूषण-मशीन से बने हुए और हाथ से बने हुए सादे और जड़े—दोनों 2. चाय, काफी और डिनर सेट 3. कटलरी मदें। 4. चाकू, रेजर, कैंची और ऐसी अन्य मदें। 5. काउल्स, गावलेट्स, वासिस और अन्य बर्तन सादे और अलंकृत-दोनों। 6. सिगरेट की डिब्बियां, स्मोकिंग सेट्स जैसे ऐश ट्रे और लाइटरस आदि। 7. आभूषण के डिब्बे और अन्य डिब्बे।	विदेशी क्रेता द्वारा भेजी गई चांदी के मढ़े चांदी के आभूषण और चांदी की वस्तुओं के निर्यात के लिए इस स्कीम के अधीन हस्त-शिल्प एवं हथ-करघा निर्यात निगम द्वारा पोतलदान बिलों पर पृष्ठांकन करते हुए और चांदी के आभूषण और चांदी की वस्तुओं के लिए